बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 189446 पटना, दिनांक- 24.06.2014

ग्रा0वि0-5/सा0आ0जन0(निधि)-103-11/2013

प्रेषक,

एस.एम. राजू

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-

-सह-

मुख्य SECC पदाधिकारी,

बिहार ।

विषय : सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC)-2011 के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मदों में विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के अंतर्गत अंतिम चरण का कार्य प्रगति पर है । सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC)-2011 के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा विभिन्न मदों में राशि उपलब्ध कराई गई है।उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सभी जिलों द्वारा विभाग को भेजा गया है । जिलों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकांशतः जिलों यथा:- पश्चिम चम्पारण, मधुबनी, अररिया, कटिहार, गोपालगंज, सारण, वैशाली, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपूरा, नालन्दा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद, जमुई एवं अरवल में SECC कार्य पर व्यय की गई राशि का प्रतिशत 90 से कम है ।

विदित हो कि विभागीय पत्रांक-176429, दिनांक-06.02.14 (प्रति संलग्न) के द्वारा SECC की राशि के व्यय एवं राशि की अधियाचना विभाग को भेजे जाने हेतु निदेश सभी जिलों को दिये गये हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि कुल उपलब्ध कराई गई राशि से अवशेष राशि 10 प्रतिशत से कम होने पर ही विभाग को मद्वार राशि की अधियाचना संबंधी प्रस्ताव भेजा जाय ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा SECC मद की लगभग 90 प्रतिशत राशि विमुक्त की गई है, शेष राशि की विमुक्ति के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अंकेक्षण प्रमाण पत्र भी ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जानी है ।

उक्त के क्रम में अनुरोध है कि SECC-11 के लंबित कार्यों को शीघ्र संपन्न कराया जाये तथा राशि की मॉग के प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित प्रतिवेदन भी संलग्न करने की कृपा की जाय:-

1. अद्यतन उपयोगिता प्रमाण पत्र,
2. अंकेक्षण प्रतिवेदन,
3. मदवार अधियाचित राशि के साथ विभागीय निदेश के आलोक में गणना तालिका,

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(एस.एम. राजू)

सचिव

24/6/14

ज्ञापांक- 189446 दिनांक- 24.06.2014

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव

24/6/14

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 176429 पटना, दिनांक- 6.2.14

ग्रा0 वि05/सा0आ0जन0(निधि)-103-11/2013

प्रेषक,

अनिल कुमार सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
-सह-
मुख्य SECC पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) के लंबित कार्यो को सम्पन्न कराने हेतु राशि की अधियाचना के संबंध में ।**

प्रसंग:- **विभागीय पत्रांक- 171465 पटना, दिनांक-16.12.2013**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लें । इस संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के अन्तर्गत विभिन्न मदों यथा मानदेय टी.ए./डी.ए., प्रशिक्षण, उपकरण, प्रशासनिक व्यय एवं प्रचार प्रसार हेतु विभाग द्वारा राशि उपलब्ध कराई गई है ।

उक्त उपलब्ध कराई गई राशि के अतिरिक्त और राशि की अधियाचना का प्रस्ताव निम्नांकित बिन्दुओं के अनुपालनोपरान्त ही विभाग को उपलब्ध कराई जा सकती है :-

(i) SECC-11 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में उपलब्ध कराई गई राशि का व्यय नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार उसी मद में किया जाये ।

(ii) यदि किसी मद विशेष में व्ययोपरान्त राशि अवशेष बच जाती है, तब उक्त परिस्थिति में उस मद विशेष में राशि का व्यय नहीं हो पाने के विषय में जिला पदाधिकारी द्वारा आश्वस्त होकर ही कार्यहित में आंतरिक विचलन करके SECC-11 के दूसरे मद में आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार अवशेष राशि का उपयोग किया जा सकता है, साथ ही इस संबंध में विभाग को भी संसूचित किया जाये ।

(iii) उपरोक्त दोनों कंडिकाओं से भिन्न परिस्थिति वाले जिले कुल उपलब्ध कराये गये राशि से अवशेष राशि 10 (दस) प्रतिशत से कम होने पर ही विभाग को मदवार राशि की अधियाचना संबंधी प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाये ।

अनुलग्नक:-यथोक्त ।

विश्वासभाजन
06/2/14
(अनिल कुमार सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक- 176429 दिनांक- 6.2.14

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

06/2/14
विशेष कार्य पदाधिकारी

2/6/2014